रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 12 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 22, 1943 शक संवत्) [संख्या 24

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	455–474	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	689–698	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	65–68	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	553–569	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवाएं]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

02 जून, 2021 ई0

सं0 09/2021/आई/68206/2021—चयन वर्ष 2020-2021 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित वास्तविक/परिणामी/सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 14/10/पी0/सेवा-1/2020-2021, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 02/2020/आई/55681/2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा माह मार्च 2021 में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष 75 पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, कार्यालय आदेश संख्या 04/2021/आई/62718/2021, दिनांक 07 अप्रैल, 2021 द्वारा माह अप्रैल, 2021 में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष 12 पुलिस उपाधीक्षक के पद पर एवं कार्यालय आदेश संख्या 04/2021/आई/64998/2021, दिनांक 06 मई, 2021 द्वारा माह मई, 2021 में उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष 04 पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

2—अब चयन वर्ष 2020-2021 में माह जून, 2021 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति दिनांक 24 फरवरी, 2021 के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती—	
1	अशोक कुमार सिंह	130
2	सुभाष चन्द्र	131
3	इन्द्र भूषण यादव	132
4	जय प्रकाश सिंह	133
5	दिलीप सिंह	134
6	त्रिलोचन त्रिपाठी	136
7	प्रेम कुमार यादव	138

3—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 100/2019, श्री विनोद सिंह सिरोही व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उसके साथ सहसम्बद्ध विशेष अपील संख्या 98/2019, 99/2019 तथा 103/2019 एवं उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई याचिका/प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5—पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

11 मई, 2021 ई0

सं0 1748 (1)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-1 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-103/52520166782) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मुहम्मद अकरम पुत्र श्री आले मुहम्मद, निवासी- ग्राम व पोस्ट रसूलपुर, बकिया, हसनगंज, जिला-उन्नाव-229881 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, फेथफुलगंज, कानपुर नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कानपुर नगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (2)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-2 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-04/52550010231) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अब्दुल हकीम पुत्र श्री मोहम्मद सईद, निवासी-ग्राम सिहुनिया, पो0-खैराखास बाया बासी, जिला-सिद्धार्थनगर-272153 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, दुबग्गा, लखनऊ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (3)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-3 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-153/5252020205027) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सैय्यद राशिद अली पुत्र श्री सैय्यद अली इमाम, निवासी-ग्राम चांदपुर, पो0-गंगपुर सिसवन, जिला-सिवान, बिहार को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा

नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, कोठी उसमानपुर, बाराबंकी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बाराबंकी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (4)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/

डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-4 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-167/52520127561) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री जकी अहमद सिद्दीकी पुत्र श्री फिरोज अहमद सिद्दीकी, निवासी-फ्लैट नं0-205, बी-ब्लाक, ड्रीम होम अपार्टमेन्ट, सर सईय्यद नगर, अलीगढ़-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, भड़कऊ, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (6)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-6 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-137/52550061192) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सरताज अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार, निवासी-म0नं0-28, पीर अताउल्लाह, अपर फोर्ट, जिला अलीगढ़, उ0प्र0-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, सुन्ना सिहोरी, एटा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, एटा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (8)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-8 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-136/52550058718) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सल्लल्लाह पुत्र श्री आलमगीर अंसारी, निवासी-ग्राम अमरडोभा, पोस्ट-बखिरा, जिला-संतकबीर नगर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बिलराम, कासगंज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, एटा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (9)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-9 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-162/52550037344) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री विकार अहमद पुत्र श्री इसरार अहमद, निवासी-मो0 सराय, टाउन-54 बस्ता, चांदपुर, बिजनौर-246736 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, उझांरी, अमरोहा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (10)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-10 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-132/52520058614) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री सबीहा सुम्बुल पुत्री श्री इब्ने सऊद, निवासी-35, सुशीला विहार-I, भोर, बुलन्दशहर, उ0प्र0-203001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, सरूरपुर, मेरठ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (11)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-11 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-107/52520144665) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री जनमुद्दीन अहमद सिद्दीकी पुत्र श्री मो0 अहमद रिजवी, निवासी-4/570, ए-34, नूरमंजिल कम्पाउण्ड, दूधपुर सिविल लाइन्स, अलीगढ़, उ0प्र0-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, रसूलपुर नगला, बिनजौर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बिनजौर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (12)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-12 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-118/5252020201313) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री कुतुबूद्दीन पुत्र श्री शर्फुद्दीन, निवासी-बहादुरपुर, नई बस्ती, निकट शान्ति नाटिका, अपोजिट मस्जिद, पडाव, जिला-चन्दौली, उ0प्र0-221008 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप

से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, अदलहट, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (13)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15,

दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-13 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-93/52550000492) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 शादाब पुत्र श्री एजाज अहमद, निवासी-म0नं0-16/2, कलामहल, नियर जयगंज, जिला-अलीगढ़, उ0प्र0-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, रपड़ी, फिरोजाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फिरोजाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (14)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-14 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-31/52520140119) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती फिरदौस कौसर पत्नी श्री मो0 शाहिद, निवासी-म0नं0-569, आराजीबाग, इकबाल हास्पिटल, सदर, अलीगढ़-276001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, तकिया, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (15)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-15 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-61/52550149436) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 अली पुत्र श्री युनुस अली, निवासी-जलकल के पास, गुदरी बाजार रामपुर कारखाना, देवरिया, उ0प्र0-274405 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, थाड़ीभार, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (16)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-16 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-109/52520200049) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री नसीमुल हसन पुत्र श्री वजीह-उल-हसन, निवासी-ग्राम व पो0-मधन, जिला-सम्भल, उ0प्र0-244102 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, टांडा बादली, रामपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (17)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-17 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-169/52550000924) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री जियाउल हक पुत्र श्री मन्जूर अहमद, निवासी-म0नं0-1190, मो0 नवादा, पो0-अमिलो, मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276404 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मऊ सिटी, मऊ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
सुखलाल भारती,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–11 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 22, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

16 अप्रैल, 2021 ई0

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/138/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री आयुष दुबे पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण दुबे, 70जी/9ए, सी0वाई चिन्तामनी रोड जार्ज टाउन, प्रयागराज, उ0प्र0 211002 (अनुक्रमांक 086861) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1–श्री आयुष दुबे नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री आयुष दुबे का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री आयुष दुबे की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री आयुष दुबे को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कानपुर जोन द्वितीय, कानपुर के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री आयुष दुबे को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री आयुष दुबे को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं

होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/143/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री शिवाल तिवारी पुत्र श्री शीतला प्रसाद तिवारी, निवासी सेक्टर-5, म0नं0-64, आवास विकास कालोनी, योजना-3, झूंसी, प्रयागराज, उ0प्र0 211019 (अनुक्रमांक 293988) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1–श्री शिवाल तिवारी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बतायें, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री शिवाल तिवारी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री शिवाल तिवारी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री शिवाल तिवारी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कानपुर जोन द्वितीय, कानपुर के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री शिवाल तिवारी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री शिवाल तिवारी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/142/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री योगेश कुमार शाक्यवार पुत्र श्री बृजलाल शाक्यवार, निवासी 294, उमरारखेड़ा, उरई, जालौन, उ0प्र0 285001 (अनुक्रमांक 033425) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1–श्री योगेश कुमार शाक्यवार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बतायें, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री योगेश कुमार शाक्यवार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री योगेश कुमार शाक्यवार की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री योगेश कुमार शाक्यवार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर कानपुर जोन प्रथम, कानपुर के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री योगेश कुमार शाक्यवार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री योगेश कुमार शाक्यवार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/147/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री आशीष दोहरे पुत्र श्री चन्द्रकेश दोहरे, निवासी 681/14, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा, उ0प्र0 282007 (अनुक्रमांक 488181) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1–श्री आशीष दोहरे नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री आशीष दोहरे का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री आशीष दोहरे की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री आशीष दोहरे को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर अलीगढ़ जोन, अलीगढ़ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री आशीष दोहरे को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री आशीष दोहरे को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/154/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री आशीष भारद्वाज पुत्र श्री महेश चन्द्र शर्मा, निवासी-एमएमआईजी-सी-27, इन्द्रापुरम, शमशाबाद रोड, आगरा, उ0प्र0 282001 (अनुक्रमांक 491621) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1–श्री आशीष भारद्वाज नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री आशीष भारद्वाज का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री आशीष भारद्वाज की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री आशीष भारद्वाज को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर अलीगढ़ जोन, अलीगढ़ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री आशीष भारद्वाज को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री आशीष भारद्वाज को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/152/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी म0 नं0-158, ग्राम चेहड़ी, पोस्ट पहॉसू, जिला सहारनपुर, उ0प्र0 247451 (अनुक्रमांक 356485) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—श्री विपिन कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री विपिन कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री विपिन कुमार की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री विपिन कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर मेरठ जोन, मेरठ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री विपिन कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री विपिन कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/153/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री गोपाल जी श्रीवास्तव, 77/1पी/2 एफ, रामप्रिया रोड, जिला प्रयागराज, उ0प्र0 211002 (अनुक्रमांक 368711) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर वाराणसी जोन प्रथम, वाराणसी के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/151/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुश्री शताक्षी पाण्डेय पुत्री श्री विजय कुमार पाण्डेय द्वारा श्री राज नारायण पाण्डेय, 89 निकट प्रधान डाकघर, मकान नं0 16, गांधीनगर थाना/पोस्ट पड़रौना, कुशीनगर, उ0प्र0 274304 (अनुक्रमांक 459288) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—श्री सुश्री शताक्षी पाण्डेय नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री सुश्री शताक्षी पाण्डेय का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री सुश्री शताक्षी पाण्डेय की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री सुश्री शताक्षी पाण्डेय को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर लखनऊ जोन द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री सुश्री शताक्षी पाण्डेय को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री सुश्री शताक्षी पाण्डेय को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/150/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री घनश्याम सिंह, निवासी- म0नं0 39 के सामने, रोड नं0 9ए, शिव मन्दिर रोड, इन्द्रपुरी रोड, पोस्ट केशरी नगर, थाना पाटलीपुत्र, पटना, बिहार- 800024 (अनुक्रमांक 474210) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800=00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—श्री रोहित कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री रोहित कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री रोहित कुमार की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री रोहित कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर वाराणसी जोन द्वितीय, वाराणसी के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री रोहित कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री रोहित कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/149/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री शची मिश्रा पुत्री श्री सुनील मिश्रा, निवासी- शची विला 637, एल्डिको सिटी, आई0आई0एम रोड, लखनऊ, उ0प्र0- 226020 (अनुक्रमांक 087029) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—सुश्री शची मिश्रा नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—सुश्री शची मिश्रा का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री शची मिश्रा की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—सुश्री शची मिश्रा को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर अयोध्या जोन, अयोध्या के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—सुश्री शची मिश्रा को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री शची मिश्रा को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/148/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री राजा चौधरी पुत्र श्री संजय कुमार, निवासी यू ब्लाक 18/30 पिंक टाउन हाउस, डी0एल0एफ0 फेज—3, गुड़गांव, (हरियाणा)-122010 (अनुक्रमांक 153532) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—श्री राजा चौधरी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री राजा चौधरी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991

(अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री राजा चौधरी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री राजा चौधरी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर मेरठ जोन, मेरठ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री राजा चौधरी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री राजा चौधरी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/145/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री शुभी गुप्ता पुत्री श्री संदीप कुमार गुप्ता, द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, निवासी- 167, बेगमबाग, मेरठ, उ0प्र0- 250001 (अनुक्रमांक 036708) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—सुश्री शुभी गुप्ता नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—सुश्री शुभी गुप्ता का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री शुभी गुप्ता की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—सुश्री शुभी गुप्ता को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—सुश्री शुभी गुप्ता को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री शुभी गुप्ता को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/144/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अंकित त्रिपाठी पुत्र श्री लाल बाबू तिवारी, निवासी- म0 नं0 434, बी कृष्णानगर प्राइवेट कालोनी, गोरखपुर, उ0प्र0- 273004 (अनुक्रमांक 463122) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—श्री अंकित त्रिपाठी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री अंकित त्रिपाठी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री अंकित त्रिपाठी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री अंकित त्रिपाठी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर अयोध्या जोन, अयोध्या के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री अंकित त्रिपाठी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री अंकित त्रिपाठी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/146/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री संजू रानी वर्मा पुत्री श्री रमेश चन्द, निवासी- 14/1, सिद्धार्थ नगर, शास्त्री नगर, मेरठ, उ0प्र0- 250004 (अनुक्रमांक 523709) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—सुश्री संजू रानी वर्मा नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बतायें, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—सुश्री संजू रानी वर्मा का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री संजू रानी वर्मा की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—सुश्री संजू रानी वर्मा को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर गाजियाबाद जोन द्वितीय, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—सुश्री संजू रानी वर्मा को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सुश्री संजू रानी वर्मा को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/140/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सिद्धार्थ चौधरी पुत्र श्री रामराज चौधरी, निवासी- 60 ई-2बी, शक्ति विहार कालोनी, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ0प्र0-211001 (अनुक्रमांक 599027) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1–श्री सिद्धार्थ चौधरी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री सिद्धार्थ चौधरी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री सिद्धार्थ चौधरी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री सिद्धार्थ चौधरी को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर लखनऊ जोन प्रथम, लखनऊ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–श्री सिद्धार्थ चौधरी को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री सिद्धार्थ चौधरी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/141/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी मोहम्मद आरिफ पुत्र स्व0 असलम अली द्वारा श्री रोशन खातून, निवासी रेलवे क्वाटर नं0 87 आई0जे0 लोको कालोनी, चन्दौली, उ0प्र0- 232101 (अनुक्रमांक 491455) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1–मोहम्मद आरिफ नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–मोहम्मद आरिफ का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–मोहम्मद आरिफ की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–मोहम्मद आरिफ को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर गाजियाबाद जोन द्वितीय, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5–मोहम्मद आरिफ को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

मोहम्मद आरिफ को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0-स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/139/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री तुलसी राम द्वारा श्री भैया राम, निवासी ग्राम तरहठी हेमापुर, पो0 किल्हापुर, थाना मुगरा बादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर, उ0प्र0- 222204 (अनुक्रमांक 397905) को

वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00+ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1—श्री विनोद कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री विनोद कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के) सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री विनोद कुमार की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री विनोद कुमार को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर लखनऊ जोन द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री विनोद कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री विनोद कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मिनिस्ती एस0,
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0—11 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 22, 1943 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख — 19 मई, 2021 ई0 / 29 वैशाख, 1943 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-एल0ए0/182/2017—**यतः,** श्री रामबहादुर उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017, जिसका परिणाम 11 मार्च, 2017 को घोषित किया गया था, के दौरान 182.सरेनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन (की तारीख) से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्ययों के लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है अर्थात, इस मामले में लेखे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल, 2017 थी ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली की रिपोर्ट के अनुसार, श्री रामबहादुर समय पर अपने लेखे दर्ज करने में विफल रहे थे, जिसके लिए उन्हें 27 अप्रैल, 2018 का दिनांकित कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मई, 2018 को तामील किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे दर्ज करने में विफल रहने पर, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे ; और

यतः, श्री रामबहादुर ने 22 मई, 2018 को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली के दिनांक 07 अगस्त, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार श्री बहादुर ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने द्वारा किए गए खर्च के सम्बन्ध में सभी अपेक्षित वाउचर जमा नहीं किए थे ; और

यतः, आयोग का दिनांक 16 जनवरी, 2019 का पत्र उन्हे 09 सितम्बर, 2019 को तामील कराया गया था, जिसमें उनके लेखे की कमियों का उल्लेख किया गया था और उक्त पत्र प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर इन कमियों

को ठीक करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10-क के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे ; और

यतः, आयोग के सांविधिक प्रावधानों और निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के कारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के तहत आयोग के आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2020 के द्वारा श्री रामबहादुर को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित किया गया था ; और

यतः, आयोग को श्री रामबहादुर से दिनांक 18 फरवरी, 2021 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने चुनाव एजेंट के माध्यम से सभी अपेक्षित वाउचरों के साथ लेखे दर्ज किए थे, लेकिन कुछ कारणों से उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनके द्वारा अपनी ओर से हुई किसी भी गलती के लिए माफी भी मांगी गई थी ; और

यतः, श्री रामबहादुर को आयोग के दिनांक 01 मार्च, 2021 के पत्र द्वारा पहले अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक करने और (फिर) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के तहत एक शपथ-पत्र, जिसमें सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता का कारण बताया गया हो, सहित एक अपील दायर करने के लिए कहा गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त दिनांक 10 मार्च, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रामबहादुर द्वारा सभी अपेक्षित वाउचरों को प्रस्तुत करके अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक किया गया तथा चूक के लिए निम्नलिखित औचित्य/कारण के साथ अपेक्षित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया–

(क) अनजाने में, कुछ वाउचर दस्तावेजों में रह गए थे जिनको उनके द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

(ख) आवेदक त्रुटियों से अनजान रहा और उसने अपने लेखे में जानबूझकर कोई गलती नहीं की है ; और

यतः, मामले में सभी तथ्यों और आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करके श्री चन्द्र भूषण कुमार, उपनिर्वाचन आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी ने इस मामले में श्री रामबहादुर को दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को अपरान्ह 2.30 बजे गूगल मीट के माध्यम से निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया ; और

यतः, श्री रामबहादुर ने दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को निजी सुनवाई में अन्य बातों के साथ-साथ सभी बाउचरों को प्रस्तुत करने में अपनी विफलता को स्वीकार किया और यह भी बताया कि कुछ वाउचरों के प्रस्तुत न कर पाने समेत लेखे में जो भी कमियां रह गई थीं उन्हें ठीक कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गलतियों उनकी अनभिज्ञता के कारण हुई थीं। श्री रामबहादुर ने उक्त विफलता के लिए मौखिक रूप से माफी भी मांगी और अपीलीय प्राधिकारी को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी। इसके अलावा, अपील दायर करने में विलम्ब के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी निर्रहता के बारे में (पहली बार) जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली के कार्यालय से दिसम्बर, 2020 में पता चला ; और

यतः, उपलब्ध कराये गए तत्व यह सुझाते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 22 मई, 2018 को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जमा किये गए, हांलाकि वे अपूर्ण थे। अभ्यर्थी द्वारा बताया गया कि जो भी कमियाँ रह गयी थी वे अब सुधार ली गई हैं, जिसकी पुष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली द्वारा उनकी दिनांक 10 मार्च, 2021 की रिपोर्ट में की गयी है ; और

अतः, अब उपलब्ध सभी भौतिक तथ्यों और श्री रामबहादुर द्वारा उनकी निजी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक कथनों के मद्देनजर अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 07 जनवरी, 2020 के आयोग के आदेश के द्वारा उन पर अधिरोपित निर्हता को दिनांक 10 मई, 2021 से रद्द करने का निर्णय लिया है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

आदेश से,
पुष्पा एन0 लकड़ा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 19th *May*, 2021 / *Vaisakha 29*,th 1943 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/182/2017–WHEREAS, Shri Rambahadur was a contesting candidate from 182-Sareni AC during the General Elections to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2017, result of which was declared on 11 March, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, each contesting candidate is required to lodge her/his accounts of election expenses within 30 days of election of returned candidate. In this case, last date of filing accounts was 10 April, 2017; and

WHEREAS, as per report of District Election Officer, Raebareli, Shri Rambahadur had failed to lodge his accounts in time for which a show-cause notice, dated 27 April, 2018 was served on him on 12 May, 2018, stating *inter-alia* therein that on failure of lodging the accounts within 20 days of receipt of notice, he shall be liable to be disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

WHEREAS, Shri Rambahadur had submitted his accounts of election expenses on 22 May, 2018 but as per report, dated 07 August, 2018 of District Election Officer, Raebareli, Shri Bahadur did not submit all the requisite vouchers in respect of expenses incurred by him during the election campaigning.

WHEREAS, Commission's letter dated 16 January, 2019 was served on him on 09 September, 2019, stating therein the defect in his accounts and asking him to rectify the same within 20 days of receipt of the letter, failing which he shall be liable to be disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

WHEREAS, due to failure to comply with the statutory provisions and directions of the Commission, Shri Rambahadur was disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 for being a Member or for being chosen a Member of Legislative Assembly, Legislative Council of any State/UT and of Parliament of Union of India, *vide* Commission's Order, dated 07 January, 2020.

WHEREAS, a letter, dated 18 February, 2021 was received in the Commisssion from Shri Rambahadur stating therein that he had lodged the acccounts with all the requisite vouchers though his election agent but due to some reasons he has been disqualified. He also apologised for any lapse on his part.

WHEREAS, Shri Rambahadur was asked *vide* Commission's letter, dated 01 March, 2021 to first rectify the errors in his accounts and to file an appeal under Section 11 of the Representation of the People

Act, 1951 along with an affidavit stating therein the reasons for his failure to comply with statutory provisions.

WHEREAS, as per report, dated 10 March, 2021 received from DEO, Raebareli, Shri Rambahadur has rectified the defects of his accounts by submitting all the requisite vouchers and that he has also submitted the requisite affidavit with following justifications/reasons, for the lapse:–

(a) Inadvertently, a few vouchers were left in the documents which could not be submitted by him, in time.

(b) The deffects remained unknown to applicant and the he has not made a deliberate error in his accounts.

WHEREAS, considering all the facts in the matter and submission made by the appellant, Shri Chandra Bhushan Kumar, Deputy Election Commissioner & the Appellate Authority in the matter afforded the opprtunity of personal hearing to Shri Rambahadur through Google meet at 2:30 pm on 07 April, 2021.

WHEREAS, Shri Rambahadur in the personal hearing on 07 April, 2021 *inter-alia* accepted the failure to submit all the vouchers and further submitted that whatever errors remained in the accounts including non-submission of some vouchers have now been rectified. He has submitted that the errors occcurred were due to his ignorance. Shri Rambahadur had also verbally tendered his apology for the said failure and assured the Appellate Authority not to repeat such mistake in future. Further, on the query of delay in filing the appeal he has submitted that he got to know about his disqualification only in December, 2020 through the office of District Election Officer, Raebareli.

WHEREAS, the material made available suggests that the candidate did submit his accounts on 22 May, 2018, however, it was incomplete. Now, he has submitted that whatever errors remained in the submission has now been rectified, which has been confirmed by the District Election Officer, Raebarelli *vide* its report, dated 10 March, 2021.

NOW THEREFORE, in view of all the available material facts and oral submissions made by Shri Rambahadur during his personal hearing, the Appellate Authority has decided to revoke the disqualification imposed upon him *vide* Commission's Order, dated 07 January 2020, *w. e. f.* 10 May, 2021.

This issues with the approval of the Competent Authority.

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–11 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–5 निर्वाचन–11-06-2021–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 12 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 22, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत, सिरौली, बरेली

09 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 4087/न0प0सिरौली/2020-21–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, सिरौली, बरेली में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत की धाराओं तथा धारा 298 (2) सूची प्रथम की उपधारा 'च' 'छ' 'ज' 'झ' (त्र) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, सिरौली की सीमा के अन्तर्गत यह उपविधियां व्यापारों को विनियोजित करने हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क नियमावली, 2007 बनायी गयी है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो यह उपविधि प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगर पंचायत, सिरौली कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत लाइसेन्स की उपविधियां

1–सक्षिप्त–नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली ने उ0प्र0 नगरपालिका ऐक्ट 1916 की धारा 298 (2) सूची प्रथम की उपधारा च छ ज झ (त्र) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, सिरौली की सीमा के अन्तर्गत यह उपविधिया व्यवसायों, व्यापारों को विनियोजित करने हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क नियमावली, 2007 बनायी है।

2–परिभाषायें–यह उपविधियॉ दुकानों का नियन्त्रण एवं विनियमितीकरण कहलायेंगी–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) 'समिति' से तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली से है।

(ग) 'समिति' से तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली समिति से है।

(घ) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत, सिरौली से है।

(ङ) 'लाइसेन्स' का तात्पर्य म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 298 (2) सूची प्रथम की उपधारा (क), (घ), (ड) "छ" (क), (ग), (झ), (त्र) (ट) ज्ञ (ख) त्र (ज) (झ) (ठ) में यथापरिभाषित दुकानों के नियन्त्रण एंव विनियोजित अनुज्ञप्ति शुल्क से है।

3–प्रसार क्षेत्र–इसका प्रसार नगर पंचायत, सिरौली बरेली की सीमा तथा सीमा से लगी हुई दुकानों तक सीमित होगा।

4–तात्पर्य–(अ) अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली, बरेली के अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी से है।

(ब) इस उपविधियों के अन्तर्गत दुकान,दुकानों के समूह, फैक्ट्री तथा सड़क, रेलवे की पटरी नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों नगर पंचायत द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थाई दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होंगे।

5–इन उपविधियों के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी अनुज्ञप्ति अधिकारी होंगे।

6–प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।

7–अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने की अनुज्ञप्तिधारी को नही होगा।

8–लाइसेन्स हेतु आवेदक को आवेदन फार्म में प्रतिष्ठान का नाम संस्था के बारे में आवश्यक सूचनायें उसके चौदहवी स्थिति तथा कार्य का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा साथ ही लाइसेसिंग फार्म में आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ भी लगाया जाना जरूरी होगा।

9–इन उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

10– कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत सिरौली की सीमा के अन्तर्गत अनुसूची में दिये गये व्यवसाय, व्यापार नही कर सकेगा जब तक वह नगर पंचायत से तत्सम्बन्धी व्यवसाय एवं व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त नही कर लेता ।

11–यदि व्यवसायी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना लाइसेन्स नही बनवा लेता है तो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिरौली 10 रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देकर लाइसेंस बनाने की स्वीकृति दे सकता है।

12–नगर पंचायत को प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद लाइसेंस 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकार होगा।

13–लाइसेन्स ग्रहीता एवं लाइसेंस ग्रहीता एवं लाइसेंस सम्बन्धी कोई वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14–लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाइसेंस अस्वीकृत किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर समिति के समक्ष अपील कर सकता है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

15–दुकान की जांच करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी या उक्त के द्वारा अधिकृत कर्मचारी होगा।

16–केन्द्र तथा राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेंस आदि हो तो उससे यह लाइसेंस भिन्न होगा।

17–इन उपविधियों में लगाये गये अनुज्ञपित शुल्क की वसूली यदि ठेके पर की जाती है तो उस दशा में ठेके का अनुमोदन नियत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

18–कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट किसी गौशाला सार्वजनिक शौचालय, खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 5 मीटर के अन्दर स्थापित नही करेगा। शौचालय की व्यवस्था करना होगा। पेयजल का निष्कामण करना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी जांच प्रतिमाह कराना होगा। होटल रेस्टोरेन्ट की रंगाई/पुताई प्रति तीन माह में कराना होगा।

19–प्रत्येक प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल पैथालॉजी सेन्टर एक्सरे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिशचित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमे कूड़ा आदि डालेंगे खून, पट्टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरेन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।

20–प्रत्येक मोटर, बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलने हो को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेना होगा और वाहन पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो ट्रॉसपोर्ट ऐजेन्सी से सम्बन्ध ट्रकों या संस्था से सम्बद्ध ट्रक वाहनों की सूची उपलब्ध करायेगा तथा उनके लाइसेंस बनवायेगा।

21–पैट्रोलियम पदार्थों की बिक्री एंव संग्रह के लिये पैट्रोलियम ऐक्ट सम्बन्धी नियमों का पालन कराना होगा जो भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेन्डर आदि की बिक्री के लिए अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेडरों का जमाव नही करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की जायेगी जहॉ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्धक लाइसेन्सधारी को करना होगा। बुकिंग काउन्टरों पर सिलेडरों का जमाव नही करेगा। सिलेडरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करना होगा उसके लिये अतिरिक्त शुल्क/मूल्य नही लिया जायेगा क्योकि गैस सिलेंडरों में होंम डिलीवरी का व्ययभार सम्मिलित है। गैस सिलेडरों का गोदाम सीमा के बाहर करना होगा।

22–वाणिज्य संस्थान मिल मशीन बिजली डीजल भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी सम्मिलित है केवल हस्त चलित मशीन सम्मिलित नही है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनों के उपयोग या आग धुऑ से और जन स्वास्थ के लिये हानिकारक हो प्रतिष्ठान मिल संस्थान चलाना अनुबन्ध नही होगा और उसकी जांच कराकर लाइसेंस निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी होगा।

23–कोई कबाड़ी चोरी का माल नही खरीदेगा यदि वहां चोरी का पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस अनुज्ञप्ति निरस्त करने का अधिकार होगा।

24–केबिल टी0बी0 के लाइसेंस धारी बिना नगर पंचायत की अनुमति के सड़क घरों बिजली टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नही बिछा सकेंगे।

25–सिनेमा टूरिंग टाकीज सर्कस प्रदर्शनी जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें सफाई बिजली पानी आदि की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।

26–डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहॉ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को करना अनिवार्य होगा।

27–पशुवध केवल पशुवधशाला (स्लास्टर हाउस) में लाइसेंसधारी को करना होगा।

28–प्रत्येक जानवर मालिक के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर के गले में पट्टी बाधें जिस पर लाइसेन्स संख्या अकिंत हो अपने जानवरों को सड़क पर खुला नही छोड़ेंगे। जानवरों को इक्ट्ठा ले जाने व लाने पर स्वंय साथ रहेंगे जिससे दुर्घटना आदि से बचा जा सके यदि ऐसा हादसा/दुर्घटना आदि होती है तो नगर पंचायत किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नही होगी।

29–जानवरों की गोबर आदि गन्दगी की सफाई जानवर मालिक को करनी होगी और जानवरों को सड़क खड़जे पर नही बांधेगा। जिससे यातायात अवरुद्ध हो। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी जानवरों की लीद, गोबर सड़क, खड़जे पर नही डालेंगे।

30–सवारी के जानवर निर्धारित स्थान पर खड़े करेंगे जिससे मार्ग अवरुद्ध न हो। इक्का, तांगा सड़क से तीन मीटर की दूरी पर खड़े करेंगे। जिसके लिये पानी सफाई की व्यवस्था नगर पंचायत करेगी।

31–रिक्शा, टैम्पो ,बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेंगे जिससे मार्ग अवरुद्ध न हो।

32–पान के दुकानदारों को दुकान के सामने पीकदान व एक तौलिया रखना होगा जिसका उपयोग पान खाने वाले करेंगे जिसकी सफाई स्वंय दुकानदार करायेगा तथा प्रतिदिन चूना आदि डालेगा।

33–मिठाई, चाय, चाट इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी दुकानों के सामने कूड़ादान का प्रबन्ध करना होगा, अनुज्ञप्तिधारी को करानी होगी दुकान में रखी सामग्री ढ़ककर रखनी होगी दुकान की फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।

34–मेडिकल स्टोर दुकानदार किसी प्रकार की अवधि समाप्त की दवा नही बेचेगा और फ्रिज की दवा फ्रिज में ही रखेगा।

35–नाई अपनी दुकान के पास कूड़ादान रखेगा जिसमें बाल एकत्र कर उसे हटवाने का उत्तर दायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

36–प्रत्येक मांस, मछली, अण्डा, मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा चिक टांगे।

37–ऐसे व्यवसायी/उद्यमी जिनमें वाटों का प्रयोग होता है को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माप तथा वाटों का प्रयोग करना होगा।

38–कोई एजेन्सी अपना विज्ञापन किसी मकान, भवन, दुकान, खम्भों या अन्य किसी पर बिना नगर पंचायत की अनुमति के नही करायेगी भले ही भवन स्वामी दुकानदार एजेन्ट की अनुमति मिली हो। बिना अनुमति के नही कराये यदि ऐसा करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

39–प्रत्येक दुकानदार दुकान के ऊपर टंगने वाला बोर्ड/विज्ञापन पट्टिका नगर पंचायत की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जायेगा जिस पर नगर पंचायत का लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) नम्बर तथा दिनांक दाई ओर अंकित कर टांगेगा।

40–इसके अतिरिक्त अन्य दुकानदारों/व्यवसायी व्यापारी उद्यमी जो लाइसेंस सूची में आते हैं उनको भी उचित सफाई एंव ग्राहक की सुविधा का प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।

41–किसी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) नही दी जा सकती और न ही दुकानदार किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति नौकर रखेगा जो छूट की बीमारी से पीड़ित हो।

42–कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्यवसाय बिना लाइसेंस के करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार अधिशीस अधिकारी को होगा।

43–उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित दरों का दो तिहाई के अद्यतन के आधार पर छपी दरों को दृष्टिगत रखते हुये एंव शा0 संख्या 616सीएम/नौ0-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 97 में निर्धारित दरोंनुसार नगर पंचायत, सिरौली में मदवार लाइसेन्स की दरें निम्नवत् होंगी–

लाइसेन्स शुल्क की दरें/शा0 संख्या 616 सीएम/नौ0-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 97 होटल/रेस्टोरेंट–

क्र0 सं0	लाइसेन्स की मद	लाइसेन्स फीस वार्षिक
1	2	3
		रु0
1	होटल, लॉर्जिंग तथा गेस्ट हाउस/बारात घर	10,000.00
2	तीन सीतारा होटल	9,000.00

1	2	3
		रु0
3	पॉच सीतारा होटल	
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (20 बेड)	2,000.00
5	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
6	प्रसूति गृह (20 बेड)	4,000.00
7	प्रसूति गृह(20 बेड से ऊपर)	5,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
9	पैथोलॉजी सेन्टर	1,000.00
10	एक्सरे क्लीनिक	2,000.00
11	डेन्टल क्लीनिक	4,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	3,000.00
	परिवहन	
13	ऑटो रिक्शा 2 सीटर	360.00
14	ऑटो रिक्शा 7 सीटर	720.00
15	ऑटो रिक्शा 4 सीटर	500.00
16	मिनी बस	2,500.00
17	बस	3,000.00
18	तांगा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	150.00
20	रिक्शा (नीजी चलित)	75.00
21	ठेला ठेली	100.00
22	हाथ ठेला	25.00
23	बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी	250.00
24	ट्रॉली	350.00
	अन्य व्यवसाय	
25	फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड	6,000.00
26	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रतिशाखा	12,000.00
27	पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	400.00
28	हड्डी खाल गोदाम	1,000.00
29	बार/वियर	6,000.00
30	आइस फैक्ट्री	100.00
31	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
32	देशी शराब (प्रति दुकान)	6,000.00
33	विदेशी शराब(प्रति दुकान)	12,000.00
34	भैंस मांस की दुकान	500.00
35	बकरा मांस की दुकान	600.00
	पशुपालन	
36	प्रति पशु	10.00
37	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना बड़े जानवर	350.00
38	प्रति खुराक बड़ा जानवर (गाय, बैल, भैंस आदि)	100.00
39	प्रतिदिन खुराक छोटे जानवर बकरा आदि	50.00
	पेट्रोलियम	
40	दुकान मिटटी के तेल 100 गैलन तक	100.00

1	2	3
		रु0
41	दुकान मिट्टी के तेल 300 गैलन तक	150.00
42	दुकान मिट्टी के तेल 500 गैलन तक	500.00
43	पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक ऑयल कम्पनी	5,000.00
44	पैट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक फुटकर)	2,000.00
45	जनरेटर डीजल	800.00
46	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन/गैस एजेन्सी	2,500.00
	अन्य व्यवसाय	
47	आट चक्की	300.00
48	धुलाई (लॉन्ड्री)	500.00
49	ड्राइक्लीनर्स	1,600.00
50	साबुन फैक्ट्री	1,000.00
51	आईस फैक्ट्री/कोल्ड स्टोर	1,000.00
52	गुदड़ गोदाम	800.00
53	चूना बनाने की भट्टी	200.00
54	कंकड़ तथा सुर्खी भट्टी	5,000.00
55	ईट भट्टा	5,000.00
56	पेठा बनाने का कारखाना	8,000.00
57	सीमेन्ट फैक्ट्री	30,000.00
58	बर्फ बनाने की फैक्ट्री	10,000.00
59	सुपनमिनी प्लान्ट	40,000.00
60	जूता बनाने का कारखाना	30,000.00
61	लेहा व्यापारी टिम्बर/सीमेन्ट, ईट, बालू थोक, सीमेन्ट, मारबल, टाइल्स, हार्डवेयर	3,000.00
62	बिजली के सामान विक्रेता	3,000.00
63	कपड़ा थोक व्यापारी / फुटकर विक्रेता	4,000.00
64	चाय थोक विक्रेता	800.00
65	मट फैक्ट्री	100.00
66	खाल एवं बाल उतारने वालों पर	400.00
67	कैटरिंग	1,300.00
68	बेकरी (भट्टी)	800.00
69	बेकरी (पावर)	1,600.00
70	हेयर कंटिग सैलून	500.00
71	ब्यूटी पार्लर	400.00
72	कुंकिग गैस एजेन्सी	800.00
73	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,000.00
74	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	500.00
75	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	1,000.00
76	कोयला थोक विक्रेता	3,000.00
77	कोयला फुटकर विक्रेता	300.00
78	बेड़ानावे	200.00
79	मसाला/पान मसाला कारखाना (फैक्ट्री)	3,000.00
80	पेन्ट्स की दुकान	600.00
81	बजरा नाव	100.00
82	छोटी नाव	60.00

1	2	3
		रु0
83	ज्वैलर्स बड़े (पॉच लाख से ऊपर टर्नओवर)	8,000.00
84	विज्ञापन एजेन्सी	6,000.00
85	डेरी फार्म	500.00
86	भूसा (थोक विक्रेता)	500.00
87	भूसा (फुटकर विक्रेता)	150.00
88	ऑडियो लाइब्रेरी	150.00
89	वीडियो लाइब्रेरी	300.00
90	केबिल टी0वी0	3,000.00
91	आर्कीटेक्ट/कन्सलटेन्ट, विधि चार्टड, एकाउन्टेंट, करेट एकाउन्टेंट	4,000.00
92	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	4,000.00
93	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	1,200.00
94	टेन्ट हाउस	2,500.00
95	पान की दुकान	200.00
96	पान का खोखा	50.00
97	चाय की दुकान	200.00
98	चाय का खोखा	50.00
99	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	600.00
100	परचून दुकान थोक	600.00
101	परचून दुकान फुटकर	200.00
102	किताबों की थोक दुकान	500.00
103	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
104	न्यूज पेपर	200.00
105	लकड़ी के टाल की दुकान थोक	1,800.00
106	लकड़ी के टाल की दुकान फुटकर	500.00
107	टिम्बर मर्चेन्ट	5,000.00
108	रेडियो मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	150.00
109	फर्टिलाइजर शॉप	2,000.00
110	प्लास्टिक फैक्ट्री	3,000.00
111	प्लास्टिक ट्रेडर्स	600.00
112	मिठाई की दुकान	600.00
113	चाट बताशों की दुकान	300.00
114	ड्राईफ्रूट विक्रेता थोक	600.00
115	ड्राईफ्रूट विक्रेता फुटकर	150.00
116	गैस फिलिंग प्लान्ट	600.00
117	सब्जी की दुकान/फल	600.00
118	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
119	मसाले थोक विक्रेता	1,000.00
120	मसाले फुटकर विक्रेता	200.00
121	फर्नीचर विक्रेता	1,000.00
122	क्राकरी विक्रेता	1,500.00
123	चूड़ी विक्रेता	300.00
124	बक्सा/कुठिया आदि की दुकान	500.00

1	2	3
		रु0
125	कपड़ा फेरी	100.00
126	जूता मरम्मत व बनाकर बेचना	200.00
127	वर्तन की दुकान थोक/फुटकर	500.00
128	दूध फेरी	100.00
129	क्रीम मशीन	300.00
130	घड़ी की दुकान शोरूम	500.00
131	घड़ी मरम्मत	200.00
132	घड़ी मरम्मत/दुकानें	700.00
133	कबाड़खाना	1,000.00
134	रूई विक्रेता	200.00
135	रूई धुनाई मशीन	1,000.00
136	पी0सी0ओ0	5,000.00
137	धान मशीन	800.00
138	स्पेलर (तेल)धानी	1,000.00
139	स्पेलर (तेल उद्योग)	1,500.00
140	मेंथा आयल क्रेता	2,000.00
141	आरा मशीन	800.00
142	खेल तमाशे सर्कस	2,500.00
143	मेडीकल स्टोर बड़ा	1,000.00
144	अग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता	500.00
145	यूनानी हकीम की दुकान	300.00
146	वैद्य हकीम की दुकान	400.00
147	यूनानी दवाओं की दुकान	300.00
148	होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान	300.00
149	एलैपैथिक डॉक्टर की दुकान	400.00
150	पार्ट्स की दुकान	200.00
151	शक्ति चलित वाहनों की मरम्मत वर्कशाप	500.00
152	मुर्गा मीट शाप	1,000.00
153	बजरी बजरफुट रेत विक्रेता	200.00
154	मेंथा आयाल प्लान्ट की एक टंकी	200.00
155	मेंथा आयाल प्लान्ट की दो टंकी	500.00
156	मेंथा आयाल प्लान्ट दो से अधिक पर	1,000.00
157	गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चलित	1,000.00
158	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायी उद्योग जो सम्मिलित नही हो सके हैं।	300 से 1000 रु0 तक

दण्ड

यू0पी0 नगरपालिका ऐक्ट, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पचायत सिरौली, बरेली यह प्राविधान करती है कि इन उपविधियों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों पर दोष होने पर न्यायालय द्वारा रु0 2000.00 (दो हजार रुपये) तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है किन्तु किसी भी दशा में 500.00 रुपये से कम न होगा और निरन्तर अवहेलना करने पर अतिरिक्त दण्ड दिया जायेगा प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिये उससे सिद्ध होता है कि आपराधी ने अपराध जारी रखा है रु0 25.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जा सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि न चुकाने पर 6 मास का करावास से दण्डित होगा जो 6 मास तक होगा।

परवीन फातिमा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सिरौली,
बरेली।

कार्यालय, नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली

16 जनवरी, 2021 ई0

सं0 4208/न0पं0सिरौली/2020-21—नगर पंचायत सिरौली, बरेली में शासन के पत्र सं0 277/नौ-9-2014-277ज/2011, दिनांक 10 जून, 2014 एवं निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 8/5715, दिनांक 30 जून, 2014 के अनुपालन में टावर स्थापना नियन्त्रण एवं विनियमन सम्बन्धी आदर्श उपविधि नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उपविधि/नियमावली, वर्ष 2014 बनायी गयी है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो यह उपविधि प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगर पंचायत, सिरौली कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विविधकर (शुल्क) उपविधि

पत्र सं0 547—नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित सभी टावरों पर शुल्क निर्धारण हेतु शासन के पत्र सं0 277/नौ-9-2014-277ज/2011, दिनांक 10 जून, 2014 एवं निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 8/5715 दिनांक 30 जून, 2014 के अनुपालन में टावर स्थापना नियन्त्रण एवं विनियमन सम्बन्धी आदर्श उपविधि नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उपविधि/नियमावली, वर्ष 2014 बनायी गयी है, प्रभावी की जाती है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियमावली

1—संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ—(1) यह उपविधि नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली मे टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि 2014 कही जायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत सिरौली, जनपद बरेली की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत, सिरौली जनपद बरेली में प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द, अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये।

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पंचायत अधिनियम, 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली से है।

(4) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(5) नियमावली से तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली की विविध कर नियमावली से है।

(6) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली के निर्वाचित बोर्ड से है।

(7) फीस से तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली, बरेली में वर्णित मदों पर लगाई गई फीस से है।

(8) निरीक्षणकर्ता का तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली द्वारा अधिकृत निरीक्षणकर्ता से है।

(9) सीमा के निकट क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो नगर पंचायत, सिरौली की सीमा समाप्त होने वाले बिन्दु से 1 कि0मी0 की परिधि के अन्दर आता हो।

(10) "समिति" का तात्पर्य नगर पंचायत, सिरौली हेतु विधि संगत ढंग से चयनित अध्यक्ष अथवा सदस्यों द्वारा गठित कमेटी से है।

(11) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य समिति के भंग होने की दशा में नगर पंचायत, सिरौली के संचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित वह अधिकारी जिसे इसका प्रभार सौंपा जाये।

(12) अनुज्ञा शुल्क (लाइसेन्स फीस) का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 298(2) प्रथम में वर्णित व्यवसायों के विनियमितीकरण एवं नियंत्रित करने हेतु निर्धारित वार्षिक उस धनराशि से है जिसे उक्त शासनादेश से प्रतिबन्धों के अधीन एवं समिति द्वारा निर्धारित लाइसेन्स फीस से है।

(1) नगर पंचायत, सिरौली की सम्पूर्ण सीमा के अन्दर क्षेत्रों में अचल सम्पत्तियों की हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमावली, 2019

1—नगर पंचायत, सिरौली की सीमाओं के अन्दर यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण (लेखा ट्रान्सफर डीड) क्रय अथवा रेहननामा (बंधकनामा) भारतीय स्टाम्प ऐक्ट, 1899 संख्या 2 के अधीन करता है। वह तब तक नही कर पायेगा जब तक सभी हस्तान्तरण की जाने वाली या बन्धक की जाने वाली अचल सम्पत्ति के मूल्य पर 2 प्रतिशत शुल्क का भुगतान नगर पंचायत कार्यालय सिरौली में जमा न कर दे।

2—नगर पंचायत की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का नामान्तरण जो व्यक्ति को विरासत में प्राप्त हो रही है नगर पंचायत कार्यालय में—

रु0 25 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क रु0 500.00।

रु0 25 लाख से अधिक रु0 50 लाख तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क रु0 1,000.00।

रु0 50 लाख से अधिक 1 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क रु0 5,000.00।

रु0 1 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का नामान्तरण शुल्क रु0 10,000।

प्रति पीढी देय होगा।

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299(1) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, सिरौली यह आदेश देती है कि इस नियमावली में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर रुपये 5,000.00 (पॉच हजार रुपये मात्र) दण्ड किया जायेगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से यह सिद्ध हो जाने पर कि अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रुपये 100.00 प्रतिदिन मात्र हो सकता है।

(2) भवन नक्शा स्वीकृति सिरौली

परिभाषाएं—

भवन	भवन का तात्पर्य वह स्थान है जो चारों ओर या किसी भी साइड से घिरा हुआ हो।
व्यवसायिक भवन	जिस भवन में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता हो।
गोदाम	जिस भवन में क्रय विक्रय के लिये किसी भी प्रकार का माल एकत्र किया जाता हो तथा रखा जाता हो।
रिहायशी भवन	जिस भवन में कोई परिवार रहता हो या परिवार के रहने के योग्य हो।
सामाजिक भवन	जो किसी भी सरकारी कार्यालय के रूप में अस्पताल, विश्राम गृह, स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय या अन्य किसी शासकीय प्रयोग में आता हो।
हॉल	भवन के अन्दर या बाहर वह बड़ा कमरा जो सामूहिक प्रयोग के लिये बनाया गया हो जिसकी लम्बाई 5 × 5 मी0 से कम न हो।
कमरा	भवन का वह कमरा होगा जो सोने बैठने व अन्य किसी प्रकार के कार्यों में प्रयोग होता हो जिसका माप कम से कम 4 × 3 मी0 होगा।
स्टोर	वह कमरा जिसमें गृहस्थी का सामान एकत्रित किया जाता है जिनका नाप कम से कम 3 × 2 मी0 हो।
रसोई	जो केवल क्षमता खाना बनाने के प्रयोग में आता हो तथा उसका नाप 1.1/2, डेढ़ मी0 हो।
स्नानगृह	जो नहाने व कपड़े धोने के लिये प्रयोग किया जाता हो।

बरामदा	भवन का वह बाहरी भाग जो केवल पिलर पर छाया गया हो और आगे से बन्ध न होता हो।
शौचालय	जो शौचालय के प्रयोग होता हो।
चक आवश्यक	इसके द्वारा मकानों के बीच का पानी सरकारी नाली में प्रवेश करता हो और दोनों नजदीकी मकानों की रोशनी की सुविधा हो चौड़ाई 1 (एक) मी0।
वेन्टीलेटर	कमरा बन्द हो जाने के बाद जिसमें स्वच्छ हवा का प्रेशर होता रहे और जो दरवाजे की ऊचाई से अलग लगा हो।
छज्जा	वह ऊपरी भाग जो धूप पानी रोकने के लिये छत से लेवल पर बाहर निकाला गया हो।
छजली	जो केवल खिडकी व दरवाजों पर ही ढकाव के रूप में निकाली गयी हो चौक का ऑगन मकान का वह खुला भाग जो ढका न हो।
जंगला	जो लोहे की सरियों द्वारा बन्द हो तथा जिसके द्वारा निकासी न होती हो।
खिडकी	वह स्थान जिसके द्वारा दो कमरे मिल सकते हैं या हवा आदि के लिये मेन रास्ते पर भी खुलती हो।
मोरी	भवन का वह हिस्सा जिसके द्वारा धुलाई इत्यादि का पानी कमरे से बाहर निकलता हो या अन्य किसी प्रकार का पानी नाली में जाता हो।
फर्श	भवन का वह निचला भाग जो समतल हो।
छत	भवन का ऊपरी भाग जिससे कमरा इत्यादि छत के ऊपर में ढका हो चाहे वह टीन, लकड़ी, ईट, पत्थर, लिन्टर या अन्य किसी पदार्थ का बना हो।
अलमारी	कमरे का भाग जो दीवार में फिक्स किये जाने के बाद कोई सामान रखने के काम में आता हो।
गैठी	जो दीवार में आने को निकाली गई हो और नीचे का स्थान खाली हो।
वाटिका	भवन का वह खुला भाग जिसमें साग,सब्जी या फुलवारी लगाई जाती हो या उठने बैठने के काम में प्रयोग किया जाता हो।

1—यह कि नगरपालिका, नगर पंचायत सिरौली की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत की बिना पूर्व अनुमति के कोई भी भवन निर्माण न करायेगा न अहाता,गैरेज या अन्य किसी भी प्रकार के भवन का रूप देगा।

2—नगर पंचायत सिरौली से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी।

(अ) स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जोकि 50 के कोर्ट फीस के स्टाम्प पेपर पर होगा।

(ब) इस प्रार्थना-पत्र के नाम प्रार्थी को दो स्केली मानचित्रों में भूमि का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है एवं भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

(स) प्रार्थी इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहॉ निर्माण कार्य कराना चाहता है उसकी अपनी है। उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(द) प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए यह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरबदल या ऊपरी भाग का पूर्व नवनिर्माण कराना चाहता है।

(य) जिस ड्राफ्टमैन से नक्शा बनवायेगा उसी से भवन की अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(र) नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और एक तीसरा नक्शा जो नगर पंचायत में रखा जायेगा वह क्लॉथ पेपर होगा।

3—कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क या नाली के बाहरी किनारे से 3 फीट भूमि को छोड़कर किया जायेगा तथा तंग गलियों में 2 फीट भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जायेगा।

4–(अ) भवन में इस प्रकार के जंगले या वेन्टिलेटर लगवाना अनिवार्य होगा, जिससे धूप तथा हवा का। (ब) इस प्रकार का जंगला या खिड़की न लगाई जायेगी जिससे कि बराबर में रहने वालों को बेपर्दगी हो।

5–भवन से निकलने वाले अतिरिक्त जल की निकासी भवन निर्माता द्वारा पाइप के माध्यम से ही सरकारी नाली तक पहुँचाया जायेगा यदि वहॉ पर सरकारी नाली नही है तो प्रार्थी को उसके लिये सोकपिट अपनी भूमि पर बनवाना होगा।

स्वीकृति विधियॉ

6–जब प्रार्थी मय नक्शे के अपना प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा सर्वप्रथम उसका इन्द्राज निर्माण रजिस्टर में किया जायेगा तथा उक्त प्रार्थना-पत्र पर राजस्व विभाग की रिपोर्ट की जावेगी, जो राजस्व के लिपिक इन्स्पेक्टर इस प्रकार की रिपोर्ट सेवा देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे रिकार्ड में वही इन्द्राज है जो प्रार्थना दे रहा है तथा इस मकान पर भवन का नगर पंचायत का कोई भी किसी प्रकार टैक्स आदि अवशेष नही है।

7–भवन नक्शा स्वीकृति के लिये अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा। यह आज्ञा केवल 1 वर्ष के लिये होगी यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नही होता है तो प्रार्थी कारण स्पष्ट करते हुए पुनः नगर पंचायत में अवधि बढाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व फीस जमा की है उसका 1/2 आधा भाग पुनः फीस के रूप में जमा करनी होगी। यह अवधि 6 माह से अधिक नही बढ़ाई जायेगी। इस छह माह की अवधि बढ़ाने के लिये अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।

8–जैसे ही भवन कर निर्माण कार्य समाप्त होगा वैसे ही प्रार्थी नगर पंचायत को अवगत करायेगा तथा नगर पंचायत द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा इसके बाद ही भवन रहने योग्य माना जावेगा।

दरें भवन निर्माण

1	व्यवसायिक भवन	40 वर्ग मी0 तक	रु0 6.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित
2	व्यवसायिक भवन	40 वर्ग मी0 से ऊपर	रु0 8.00 प्रति वर्ग मी0
3	गोदाम	40 वर्ग मी0 तक	रु0 8.00 प्रति वर्ग मी0
4	गोदाम	40 वर्ग मी0 से ऊपर	रु0 10.00 प्रति वर्ग मी0
		अधिक दो	
5	होटल या विश्रामगृह	40 वर्ग मी0 तक	रु0 8.00 प्रति वर्ग मी0
6	होटल या विश्रामगृह	40 वर्ग मी0 से ऊपर	रु0 10.00 प्रति वर्ग मी0
7	रिहायशी भवन	100 वर्ग मी0 तक	रु0 5.00 प्रति वर्ग मी0
8	रिहायशी भवन	100 वर्ग मी0 से ऊपर 500 वर्ग मी0 तक	रु0 6.00 प्रति वर्ग मी0
9	रिहायशी भवन	800 वर्ग मी0 से ऊपर	रु0 7.00 प्रति वर्ग मी0

यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है तो उससे फीस की दरें उपरोक्त दरों की 1/2 होगी। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर, आदि जिससे किराये आदि की आय न हो, वह शुल्क मुक्त होंगे।

यदि प्लाट की बाउन्ड्री ही माननीय है तो उसके लिये मात्र रु0 300.00, (सौ रुपया मात्र) फीस देय होगी।

10–निर्माण का प्रार्थना-पत्र आने की तिथि के 60 दिन के भीतर स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यदि समिति को कोई आपत्ति है तो प्रार्थी को अवगत कराया जायेगा अन्यथा प्रार्थी वाद गुजरने मियाद 60 दिन समिति को एक सूचना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसका समय 7 दिन का होगा इसके बाद वह अपना निर्माण कार्य आरम्भ कर देगा।

11–समिति को यह पूरा अधिकार होगा कि उचित कारण दर्शाते हुए यह किसी भवन निर्माण की आज्ञा न दे।

12–प्रार्थी का यदि नक्शा स्वीकृत हो जाने के बाद कोई परिवर्तन है तो पुनः दूसरा नक्शा तथा स्वीकृति नक्शा जिस पर उसे आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित फीस का 1/2 भाग जमा करेगा।

13–स्वीकृति देने के बाद यदि कोई जनहित में उक्त स्वीकृति को रद्द करना उचित समझता है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुए भू-स्वामी को नोटिस दे, और नोटिस देकर आज्ञा को रद्द कर सकता है जिसकी अपील अन्दर मियाद 30 दिन जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

14–मरम्मत जिसमें केवल प्लास्टर आदि या छत रूकनी हो के लिये 25.00 (पच्चीस रुपया मात्र) फीस तथा सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देगा यदि प्रार्थी पुरानी बुनियादों पर भी क्षतिग्रस्त होने के कारण छत बदलवाना चाहता है तो उसे रु0 60.00 (साठ रुपया) फीस जमा करेगा यदि नीचे की मंजिल बनी है और प्रार्थी दूसरी मंजिल बनाना चाहता है तो उसके उपविधियों में वर्णित पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी।

15–सड़क पर निर्माण मलबा डालने पर हर 50 वर्गफीट पर 30 दिन के लिये रु0 40.00 (चालीस रुपया) देय होगा। उसके लिये नियमानुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। कार्य समाप्त होने पर सड़क पर सड़क पर पडा मैटेरियल साफ करायेंगे और गड्ढे आदि भरवा देना।

यदि यातायात में रुकावट होती है तो अधिकारी बरेली का पूर्ण अधिकार होगा 564 कि वे बिना कारण बताये दी गई आज्ञा रद्द कर दें, जमाशुदा धनराशि वापिस न की जायेगी।

16–कोई भी प्रोजेक्शन इस प्रकार निर्माण न किया जायेगा की जिसका बरसाती पानी पूरे भाग में बहता हो जिसकी निकासी एक सीन से दूसरे सीन को सुरक्षा पाइप से सुरक्षित पाइप के द्वारा होगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, सिरौली, बरेली यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि के किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जायेगा जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराधकर्ता है, रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर तीन मास तक का कारावास का दण्ड सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

स्टैण्ड/पार्किंग नियमावली

नगर पंचायत सिरौली (बरेली) अपनी सीमा के अन्तर्गत आने-जाने वाले ऐसे वाहनों पर जो व्यापारिक एवं व्यवसायिक प्रयोजन से निकाय क्षेत्र सीमा में अथवा निकाय अन्तर्गत स्थित स्टैण्ड/पार्किंग स्थलों पर ठहराव करते हों अथवा पार्किंग करते हों ऐसे वाहन जो निकाय सीमा में सवारियों को उतारते या चढाते हों या विनियमित एवं नियंत्रण के उद्देश्य से शासन आदेश सं0 3596/नौ-9-2001-9 जा/98, दिनांक 26 नवम्बर, 2001 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 व 299 (1) के अन्तर्गत उपविधि/नियमावली प्रकाशित की जाती है।

उपविधि

1–**संक्षिप्त नाम–**(क) यह उपविधि/नियमावली नगर पंचायत, सिरौली, (बरेली) की सीमा के अन्तर्गत वाहनों को विनियमित एवं नियंत्रण हेतु स्टैण्ड/पार्किंग फीस नियमावली, 2008 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि/नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगी।

2–नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर वर्णित एवं निर्धारित धनराशि की नगर पंचायत, सिरौली (बरेली) की सीमा में चालकों/परिचालकों/मालिकों द्वारा स्टैण्ड/पार्किंग स्थलों पर ठहरने तथा निकाय सीमान्तर्गत सवारियों को उतारने/चढाने पर स्टैण्ड/पार्किंग फीस के रूप में धनराशि देनी होगी।

3–देय धनराशि की रसीद प्राप्त करनी होगी तथा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दिखानी होगी।

4–''वाहनो'' का तात्पर्य उन वाहनों से है जो नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत स्टैण्ड/पार्किंग स्थलों अथवा किसी भी स्थान पर ठहरते हों अथवा सवारी उतारते चढाते हों।

5–''सीमा'' से तात्पर्य नगर पंचायत सिरौली(बरेली) की सीमान्तर्गत सड़कों एवं पटरियों से है।

6–वाहन चालक/परिचालक/मालिकों द्वारा तालिका में वर्णित मदों के अनुरूप महसूल अदा करना होगा।

7–नगर पंचायत स्टैण्ड/पार्किंग फीस/महसूल को अपने कर्मचारियों से अथवा ठेकेदार से वसूल करायेगी। इस महसूल को ठेका उठाने के लिये नगर पंचायत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

स्टैण्ड/पार्किंग की दरें

क्र0 सं0	नाम वाहन	प्रस्तावित दरें	विवरण
1	2	3	4
		रु0	
1	मोटर, लारी, बस डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले भारी वाहन	50.00 प्रतिदिन	स्टैण्ड/पार्किंग स्थल पर ठहरने/सवारी उतारने एवं चढाने पर
2	टाटा 407, मिनी बस एवं चौपहिया वाहन	30.00 प्रति दिन	स्टैण्ड/पार्किंग स्थल पर ठहरने/सवारी उतारने एवं चढाने पर
3	जीप, कार, मार्शल, टाटा सूमो, इण्डिका, बोलरो, टैम्पू, जुगाड, आदि एवं पेट्रोल डीजल से चलने वाले छोटे वाहन	20.00 प्रति दिन	स्टैण्ड/पार्किंग स्थल पर ठहरने/सवारी उतारने एवं चढाने पर
4	तांगा, रेडी, छोटी थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा	10.00	प्रतिदिन
5	रिक्शा	5.00	प्रतिदिन

उपरोक्त वाहन नगर पंचायत, सिरौली की सीमा के अन्तर्गत सवारी उतारते व चढ़ाते हैं। तो सवारी भाड़े के वाहन चालक/परिचालक/मालिक को उपरोक्त दरों से महसूल देना होगा।

निम्नांकित वाहन महसूल से मुक्त होंगे–

(1) सरकारी वाहन, शव वाहन, कृषि वाहन, एवं रोडवेज बसें।

(2) सरकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण एवं उनका निजी घरेलू सामान जो किसी वाहन पर हो महसूल से मुक्त होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उस व्यक्ति को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दण्ड

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि उल्लंघन बराबर जारी रखा तो अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो अपराधी द्वारा प्रथम बार अपराध किये जाने की तिथि से रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है।

विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर सूचना एवं कपड़े के बैनर वॉव पेन्ट एवं साइन बोर्ड यूनीपोल आदि पर कर शुल्क सम्बन्धी नियमावली

कर/शुल्क दरें

क्र0सं0	आकार का विवरण	बोर्ड द्वारा स्वीकृत शुल्क की दरें		
		वार्षिक	मासिक	प्रतिदिन
1	2	3	4	5
1	8 वर्ग मी0/होर्डिंग्स	4000	600	30
2	4 वर्ग मी0/होर्डिंग्स	2000	300	20
3	2 वर्ग मी0/होर्डिंग्स	1500	200	15
4	1 वर्ग मी0/होर्डिंग्स	1000	100	10
5	कपड़े का प्रति बैनर	500	200	50
6	कागज के छोटे पोस्टर	250	–	
7	वॉल पेन्टर प्रति वर्ग	500	–	
8	यूनी पोल/गेट एन्ट्री 8वर्ग मी	6000	800	40
9	पोल क्रास	3000	400	20

दण्ड

नगर पंचायत सिरौली बरेली की अनुमति के बिना नगर पचांयत की सीमा क्षेत्र में किसी भी होर्डिगंस, बैनर लगाने पर रुपये 1,000 प्रति प्रकरण के आधार पर दण्ड लगाया जा सकता है।

5–शहर/कस्बा स्वच्छ रखने के लिये डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण,परिवहन तथा निस्तारण हेतु नियमावली

कर/शुल्क दरें

1–निम्न आय वर्ग (अन्त्योदय) रु0 10 (दस रुपया) प्रतिमाह

2–मध्यम आय वर्ग रु0 20 (बीस रुपया) प्रतिमाह

3–उच्च आय वर्ग रु0 50 प्रतिमाह

4–छोटे दुकानदार–चाय/खोमचे/पान/नास्ता की दुकान रु0 50 (पचास रुपया) मात्र प्रति माह।

5–होटल/रेस्तरां/धर्मशाला/निजी अस्पताल/निजी स्कूल रु0 100.00 (एक सौ रुपया) प्रति माह देय होगा।

6–नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला/नाली या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 100.00 मात्र प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 (पॉच सौ रुपया) मात्र प्रति प्रकरण देय होगा।

7–नगर पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालय के टॉयलेट प्रयोक्ता से रु0 5.00 (पॉच रुपया) मात्र प्रति व्यक्ति एवं बाथरूम प्रयोक्ता चार्ज रु0 5.00 (पॉच रुपया) प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

8–कोई भी पशुपालक पशुओं का गोबर आदि नाली में नही बहायेगा गोबर का उपयोग नगर पंचायत कम्पोस्टिंग के लिये करेगी पशुपालक स्वंय भी गोबर का उपयोग अपने गीले कचरे के साथ कम्पोस्टिंग में उपयोग करेगा। उल्लंघन करने पर रु0 100 प्रतिदिन के हिसाब से पशुपालक से जुर्माना लिया जायेगा।

9–नगर पंचायत सीमा में गलियों में पशुओं का बॉधकर गंदगी फैलाने पर पकड़े जाने पर दंड रु0 100.00 प्रतिपशु तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 500.00 प्रतिपशु देय होगी।

10–छोटी बाउण्ड्रीयुक्त भूखण्ड या मकानो के मध्य खाली भूखण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेंकनें को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भूखण्ड एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊॅची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 3,000.00 (तीन हजार रूपया) मात्र देय होगा।

6–उ0प्र0 पथ विक्रेता जीविका संरक्षण नियमावली

निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 8वॉ तल इन्दिरा भवन लखनऊ पत्र सं0 3/773सा0/पथ विक्रय/2017 दिनॉक 22 मई, 2017 तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मिस रिट पिटीशन सं0 53235/2016 दिलीप पासवान बनाम राज्य व अन्य के अनुपालन के क्रम में नगर पंचायत, सिरौली, बरेली द्वारा अपनी सीमा में फेरी नीति/पथ विक्रेता/जीविका संरक्षण नियमावली की विरचना की जाती है।

नगर पंचायत सीमा में पथकर नियमावली के अनुसार 2 × 2 वर्ग मी0 ढकेल/रेहड़ी/फड़ आदि लगाने पर निम्न दरें लागू होगी।

1–नगर पंचायत, सिरौली की सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

2–नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक रेहड़ी लगाने वाले का फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी करेगी।

3–नगर पंचायत द्वारा नियत किये गये स्थान पर ही पथ विक्रेता अपनी रेहड़ी/फड़/ठेला आदि लगा सकेगा।

दण्ड

प्रतिदिन दरें	मासिक दरें	वार्षिक दरें
रु0 15.00 मात्र प्रतिदिन	रु0 400.00 मात्र मासिक	रु0 4000.00 मात्र वार्षिक

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, सिरौली यह आदेश देती है कि इस नियमावली में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर रुपये 10,000.00 (दस हजार रुपया) मात्र तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से यह सिद्ध हो जाने पर किसी अपराधी के द्वारा निरन्तर अपराध जारी रखने पर रुपये 100.00 (एक सौ रुपया) मात्र प्रतिदिन हो सकता है।

नगर पंचायत, सिरौली द्वारा मोबाइल टावर, विद्युत ट्रान्सफार्मर, बिजलीघर, कोल्ड स्टोरेज, मान्यता प्राप्त विद्यालय आदि पर शुल्क निर्धारण हेतु उपविधियॉ शासनादेश दिनॉक 27 अक्टूबर, 1994 द्वारा निधार्रित कर/शुल्क दरें

क्रमांक	मद का नाम	शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 द्वारा निर्धारित दर
01	ट्रांसफार्मर	500 रुपये/वर्ष
02	विद्युत ग्रह	50 रुपये/गज
03	कोल्ड स्टोरेज	10,000 रुपये/वर्ष
04	मोबाइल टॉवर	10,000 रुपये/वर्ष
05	विद्यालय	कक्षा 1 से 5 तक 2,000 रु0 प्रति वर्ष
06	विद्यालय	कक्षा 6 से 12 तक 4,000 रु0 प्रति वर्ष
07	महाविद्यालय	बी0ए0एम0ए0एम0कॉम0/5,000 रु0 प्रतिवर्ष
08	किड्स प्ले	–
09	महाविद्यालय	आई0आई0टी0, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0टैक0, बी0टी0सी0, पॉलीटैक्निक, बी0ए0 तक 5,000 रु0/वर्ष

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, सिरौली ये आदेश देती है कि इस नियमावली में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर रु0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) दण्ड किये जायें और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया जायेगा। जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से यह सिद्ध हो जाने पर किसी भी अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रुपये 100.00 प्रतिदिन मात्र हो सकेगा।

जलमूल्य/जलकर आदि सम्बन्धी नियमावली

1–नगर पंचायत, सिरौली, जनपद बरेली में घरेलू जल उपभोक्ताओं से जल मूल्य रु0 50.00 (पचास रु0 मात्र) प्रतिमाह एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं से रु0 200.00 (दो सौ रुपया मात्र) तथा प्रति नये जल संयोजन (नल कनेक्शन) पर संयोजन शुल्क रु0 1,200.00 वसूल किया जायेगा।

2–कस्बा क्षेत्र के अन्दर आर0 ओ0 प्लान्ट व्यवसायियों के लिये जो अपनी बोरिंग (समर्सेबिल) से आर0 ओ0 प्लान्ट की व्यवस्था करते हैं। उनसे अनुति शुल्क रु0 5,000.00 (पॉच हजार रूपया) मात्र तथा सम्भरण शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपया मात्र) प्रतिमाह वसूल किया जायेगा। निजी समरसेविल लगाने पर संभरण शुल्क रु0 100.00 मात्र प्रतिमाह वसूल किया जायेगा।

3–जलापूर्ति हेतु निकाय टैंकर उपयोग शुल्क (न0पं0 की सीमा में बारात/तिलक आदि कार्य हेतु) रु0 500.00 मात्र प्रति चक्कर नगर पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु रु0 600.00 मात्र प्रति चक्कर प्रतिदिन देय होगा।

विविध नियमावली

1–प्रमाण-पत्र नामांकन के पश्चात् निर्गत प्रमाण-पत्र अदेयता प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, अन्य प्रमाण-पत्र (जन्म-मृत्यु को छोड़कर) रु0 200.00 (दो सौ रूपया) मात्र प्रति प्रमाण-पत्र देय होगा।

2–कर निर्धारण पंजिका नकल शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रूपया) मात्र तत्काल रु0 300.00 (तीन सौ रुपया) मात्र प्रति नकल देय होगा।

3–नगर पंचायत सीमा में आयोजित नुमाइश/मेला निजी जमीन, मकान आदि पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 5,000.00 (पॉच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

4–नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला/नाली/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) मात्र तक हो सकता है पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपया) मात्र चार्ज किया जायेगा।

5–नगर पंचायत, सिरौली की सीमा के अन्तर्गत नगर पंचायत की दुकानें/भूखण्ड आदि के किराये का पुनः निर्धारण प्रति पॉच वर्ष में किया जायेगा। जिन आवंटित दुकानों की समय-सीमा उल्लिखित नही है उनके किराये का निर्धारण भी प्रति पॉच वर्ष में किया जायेगा।

6–नगर पंचायत की दुकान/भूखण्ड आदि का किरायानामा स्टाम्प अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड कराना होगा।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया मात्र) तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि उल्लंघन बराबर जारी रखा तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनॉक से रु0 100.00 (सौ रु0 मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है।

परवीन फातिमा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सिरौली,
बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया मेरा नाम कुमारी रमा गौतम है, मेरे पिता सर्विस अभिलेखों में मेरा नाम कु0 रमा भूलवश अंकित हो गया है। कु0 रमा व कु0 रमा गौतम एक ही महिला है। भविष्य में मुझे कु0 रमा गौतम पुत्री स्व0 मथुरा प्रसाद, रामपुर, करछना, प्रयागराज के नाम से लिखा, पढ़ा व जाना जाये।

कु0 रमा गौतम,
पुत्री स्व0 मथुरा प्रसाद,
पता–रामपुर, तहसील, करछना,
जिला-प्रयागराज।

सूचना

फर्म मेसर्स आर0पी0एस0 होम्स, एच0आई0जी0 262, स्कीम नं0-1, आवास विकास, पनकी रोड, कल्यानपुर कानपुर नगर में श्री विनोद सिंह चन्देल पुत्र श्री जय चन्द्र सिंह चन्देल, निवासी ग्राम गोदरा, पोस्ट बेरामऊ, कुंवरपुर, कुकरी, कानपुर नगर एवं श्रीमती रामवती देवी पत्नी श्री रामू प्रसाद प्रजापति, निवासिनी 13, न्यू आजाद नगर, सतबरी रोड, किदवई नगर, कानपुर नगर स्वयं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को प्रातःकाल में शामिल हो गये हैं तथा दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को श्री हरी प्रताप सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, नि0 138, भीतरगांव, रसूलाबाद, खेड़ा, कुर्सी, कानपुर देहात एवं श्री नागेन्द्र प्रजापति पुत्र श्री राम आसरे प्रजापति, नि0 426, साउथ मुरैना टोला, फतेहपुर, उ0प्र0 सायंकाल से हट गये हैं तथा वर्तमान में दिनांक 16 अप्रैल, 2021 से निम्न पार्टनर हो गये हैं। श्री विनोद सिंह चन्देल पुत्र श्री जय चन्द्र सिंह चन्देल, निवासी ग्राम गोदरा, पोस्ट बेरामऊ, कुंवरपुर, कुकरी, कानपुर नगर एवं श्रीमती रामवती देवी पत्नी श्री रामू प्रसाद प्रजापति, निवासिनी 13, न्यू आजाद नगर, सतबरी रोड, किदवई नगर, कानपुर नगर।

विनोद सिंह चन्देल,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नरेंद्र देव (रेलवेज), 114, उदयपुर खास अपोजिट गैलक्सी टावर, राजेंद्र नगर, बरेली रजिस्ट्रेशन संख्या बी-11499, दिनांक 25 जुलाई, 2018 किराये के भवन से दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से अपने निजी भवन ई-1063, राजेन्द्र नगर में बरेली पर स्थान्तरित हो गयी हैं।

सभी विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

अजय कुमार अग्रवाल,
(मुख्य पार्टनर),
मेसर्स नरेंद्र देव (रेलवेज)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बी0के0 इण्टर प्राइजेज, पता-पी-223, नेहरू इन्क्लेब, गोमतीनगर, लखनऊ जिसका रजिस्टर्ड नम्बर-198900, दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर श्री गोपाल तिवारी, द्वितीय पार्टनर राधिका तिवारी, तृतीय पार्टनर अनिल तिवारी, चतुर्थ पार्टनर विनोद तिवारी, पंचम पार्टनर मंजू तिवारी, षष्टम पार्टनर मनोज तिवारी तथा सप्तम पार्टनर श्री राजेश तिवारी, साझीदार थे। प्रथम पार्टनर श्री गोपाल तिवारी, द्वितीय पार्टनर राधिका तिवारी, तृतीय पार्टनर अनिल तिवारी, चतुर्थ पार्टनर विनोद तिवारी, षष्टम पार्टनर मनोज तिवारी, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से साझीदारी से अलग हो गये हैं। वर्तमान में प्रथम पार्टनर मंजू तिवारी, द्वितीय पार्टनर राजेश तिवारी साझीदार होंगे।

मंजू तिवारी,
पार्टनर,
मेसर्स बी0के0 इण्टरप्राइजेज,
पता-पी-233, नेहरू इन्क्लेव,
गोमतीनगर,लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वरकन फ्यूल सर्विसेज, 123/385बी, फजलगंज, कानपुर के पार्टनर सीमा कनोडिया पत्नी श्री सुशील कनोडिया, नि0 7/137, स्वरूप नगर, कानपुर नगर एवं शिवानी कनोडिया पुत्री श्री सुशील कनोडिया, नि0 7/137, स्वरूप नगर, कानपुर नगर उक्त पार्टनरशिप

फर्म को नहीं चलाना चाहते हैं उक्त पार्टनरशिप फर्म दिनांक 01 मई, 2021 से विघटित हो गयी है।

सीमा कनोडिया,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बी0एस0 सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, पता–545क/एन0के0/560, नरपत खेड़ा, मानकनगर, लखनऊ, जिसका रजि0 नं0 एल0यू0सी0/0003466, दिनांक 16 मई, 2019 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर सुनील कुमार, द्वितीय पार्टनर रमेश चन्द्र यादव साझीदार थे। उक्त फर्म में दिनांक 25 मार्च, 2021 को नई तृतीय पार्टनर श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासिनी ग्राम चिरैयापुर, पो0 बरौना कलां, जिला औरैया, उ0प्र0 को साझीदारी में सम्मिलित कर लिया है एवं दिनांक 25 मार्च, 2021 से द्वितीय पार्टनर श्री रमेश चन्द्र यादव साझीदारी से अलग हो गये हैं। वर्तमान में 1–श्री सुनील कुमार व 2–श्रीमती पूनम देवी साझीदार होंगे।

सुनील कुमार,
पार्टनर,
मेसर्स बी0एस0 सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज,
पता–545क/एन0के0/560, नरपत खेड़ा,
मानकनगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम MOHAMMAD MOHSIN है। गलती से मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम SHEERAZ RIZVI अंकित हो गया है। पैन कार्ड का नम्बर AUNPR4428C है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का नाम है। भविष्य में मुझे MOHAMMAD MOHSIN पुत्र MOHAMMAD ABID, R/o 33/31, KOFT GRAN TOLA, CHOWK, PRAYAGRAJ के नाम से जाना व पहचाना जाय।

MOHAMMAD MOHSIN.

पी0एस0यू0पी0–11 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।